फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

जगदीश वगैरा बनाम देवेन्द्र

मुकदमा संख्या /वर्ष 176/2015 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत्तृत रुप से	विशेष विवरण
	7/6/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वकील वादी को बहस अंतिम सुनी गई वादी का वाद [illegible] जाता के विरुद्ध आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] शामिल होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 176/2015
प्राथमिक डिक्री जारी दिनांक :07.06.2024

1. जगदीश नारायण पुत्र स्व० श्री लल्ला उम्र वर्ष जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. देवेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता
2.श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता
जाति महाजन निवासीगण ए–7, नेताजी सुभाष नगर, किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का शिकारपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित आराजी कृषि भूमि में वादी काबिज कातश्कार व रिकार्डेड खातेदार है जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(क) खाता संख्या 25 पुराना 30 खसरा नम्बरान् 833, 834, 897, 898 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर उक्त खाते की आराजी में वादी के नाम 1/4 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं।

(ख) खाता संख्या 28 पुराना 30 खसरा नम्बरान् 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 899, 901/1008, 909 कुल किता 10 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर उक्त खाते की आराजी में वादी के नाम 1/2 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

(ग) खाता संख्या 24 पुराना 29 खसरा नम्बरान् 894, 895, 896 कुल किता 3 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर उक्त खाते की आराजी में वादी के नाम 1/4 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंक्रित है।

(घ) खाता संख्या 26 पुराना 31 खसरा नम्बरान् 901, 902, 903, 904, 905 कुल किता 5 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर उक्त खाते की आराजी में वादी के नाम 1/4 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

वाद पत्र की कम संख्या 1 में वर्णित उपमद क, ख, ग, घ मे वर्णित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे वादी ने एक वाद धारा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो उनवानी जगदीश नारायण बनाम हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात को अपने सदस्यों या किसी संस्था, अन्य व्यक्ति के नाम आवंटन जारी नही करें तथा कब्जे ... के उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात मे बाधा कारित न करें ... बेदखल करें और ना ही आवासीय भूखण्ड विकसित कर अवैध निर्माण न करें ... पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24–10–2013 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के आदेश फरमा रखे हैं लेकिन इसके बावजूद भी समिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगा...)

द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पिछली तारीख अंकित कर पट्टे जारी कर दिये जो विधि विरूद्ध है। समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवंटन पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 10 जयपुर महानगर सांगानेर मे एक वाद बाबत विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ उनवानी हनरोई गद्दी गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम जगदीश नारायण व अन्य के लम्बित होते हुए जारी किये है। जबकि उक्त वाद पत्र मे समिति ने स्वामित्व व कब्जे का अनुतोष चाहा है इसलिए बिना अधिकार के समिति को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आवंटन पत्र जारी किया है जो अवैध है। वादग्रस्त आराजीयात पर दिनांक 26-9-14 को प्रतिवादीगण व उनके साथ तीन चार लोग आये और भूखण्डो की नाप जोक करने लगे तो इस बाबत वादी ने जानकारी चाही तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त आवासीय योजना कृष्णा एन्क्लेव सी के भूखण्ड संख्या सी-68 ए- II 68-ए- III भूखण्डो को मूल आवंटियों से खरीद कर समिति से हस्तान्तरण करवाया है तो हम उक्त भूखण्डो का निमार्ण प्रारम्भ करने आये है तब वादी ने कहा कि उपरोक्त आराजीयात पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित कर रखे है इस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि स्थगन आदेश दिखाओ वादी द्वारा स्थगन आदेश व वाद पत्र की नकल प्रतिवादीगण को दिखाने पर प्रतिवादीगण अत्यधिक नाराज होकर लड़ाई झगडे पर उतारू हो गये तथा एलानिया धमकी दी कि उक्त वाद मे हम पक्षकार नही है उक्त स्थगन हमारे उपर प्रभावी नही है हम किसी भी सूरत मे वादग्रस्त आराजीयात मे स्थित भूखण्डो पर निर्माण कर कब्जा करके रहेगें इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। वादी प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय से इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर जो वाद पत्र के सारणी कखग. घ मे पैरा नम्बर एक मे वर्णित सारणी दर्शाई गई गई आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादीगण को समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र के भूखण्ड जो वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सम्पति पर निर्माण कार्य ना करें, ना कब्जा करें ना ही अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरण करें ऐसा ना स्वंय करें ना अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे वादग्रस्त भूमि की आज की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

अतः वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

क. यह कि वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर जो वाद पत्र के पैरा नम्बर एक मे वर्णित सारणी क ख ग घ में दर्शाइ गई गई आराजीयात की भूमि पर प्रतिवादीगण को समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र के भूखण्ड जो वाद पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित सम्पति पर निर्माण कार्य ना करें, ना कब्जा करें ना ही अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को हस्तान्तरण करें ऐसा ना स्वंय करें ना अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे वादग्रस्त भूमि की आज की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र ... कर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद का जवाब विशेष विवरण के साथ प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद व वाद-पत्र जानबूझकर बदनियतिपूर्वक माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/वादी और उसके परिवारजन तथा समिति ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

साजिशाना तरीके से विवादित आराजियात के सम्बंध में माननीय न्यायालय के समक्ष व अन्य न्यायालयों में प्रार्थी/वादी को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर सम्बंधित न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे है और उन स्थगन आदेशों की आड में वे प्रार्थी/वादी व अन्य लोगों को विवादित आराजियात पर काटे गये भूखण्डो से बेदखल करना चाहते है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में उपरोक्त समस्त कार्यवाहियाँ प्रार्थी/वादी समिति के द्वारा आपसी मिलीभगत कर की गई है। वास्तविक तथ्य यह है, कि प्रार्थी/वादी के द्वारा विवादित आराजियात को काफी समय पूर्व ही वर्ष 2007 में ही हथरोई गढी सहमति समिति को बेचान कर दिया था और सम्पूर्ण बकाया विक्रय प्रतिफल भी प्राप्त किया था और कब्जा अन्तरित कर दिया था। इसके पश्चात समिति ने विवादित आराजियात पर स्वयं की खरीदशुदा कब्जे की भूमि पर कृष्णा एनक्लेव सी के नाम से आवासीय योजना बनाकर उसके सदस्यों को भूखण्ड आवंटित कर दिये थे। स्वयं प्रार्थी/वादी ने उक्त योजना में समिति से भूखण्ड आवंटित करवा रखे है, यहीं नही इसके पश्चात समिति और प्रार्थी/वादी के मध्य विवाद होने तथा जमींनो की कीमते लगातार बढने की स्थिति में दोनों की नियत खराब हो जाने के उपरान्त समिति ने प्रार्थी/वादी के ऊपर एक वाद बाबत् अनुबंध की विशिष्ट अनुपालना बाबत् प्रस्तुत किया, जो माननीय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या–19, जयपुर के समक्ष हथरोई गढ़ी बनाम जगदीश के नाम से लम्बित है, जिसमें दोनों ने सहमति से स्थगन आदेश भी पारित करवा रखा हैं। तत्पश्चात विवाद और बढने की स्थिति में प्रार्थी/वादी ने समिति के ऊपर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया, जिसकी पुष्टि मद संख्या–3 से स्पष्ट होती है, यहीं नहीं जब समिति और प्रार्थी/वादी अपने नापाक ईरादो में कामयाब नहीं हुये तो प्रार्थी/वादी ने समिति के पदाधिकारियों से मिलीभगत करते हुये एक वाद अपने पुत्र रामावतार से बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवाया, यहीं नहीं उक्त विवादित आराजियात को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये पुंनः वादी के द्वारा मिलीभगत से अपनी बहिन श्रीमती शांति देवी के साथ मिलीभगत कर स्वयं के विरुद्ध एक वाद शांति देवी बनाम जगदीश भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवा रखा है और उक्त सभी वादो में स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखे है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है, कि सभी वादों में जहाँ एक तरफा वादी विवादित आराजियात स्वयं की कब्जे काश्त की बता रहा है, वहीं वादी के विरूद्ध लम्बित अन्य वादों में विवादित आराजियात को पैतृक सम्पत्ति बताया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है, कि जब विवादित आराजियात के स्वामित्व के सम्बंध में ही विवाद विद्यमान है, तो केवल मात्र जमाबंदी में वादी का नाम अंकित होने के आधार पर वादी को किसी भी प्रकार से कोई स्वामित्व अथवा कब्जा विवादित आराजियात पर प्राप्त नही हैं और इस प्रकार वादी स्वयं अपने परिवार के साथ मिलकर समिति से सांठ–गांठ कर विवादित आराजियात पर कांटे गये भूखण्ड़ो से समिति के सदस्यों को जमींनो की कीमते बेतहाशा बढ़ जाने के कारण बेदखल करने के लिये उपरोक्त सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ कर रहा है, Signature Not Verified ... का कब्जा है और न ही क्योंकि वास्तव में विवादित आराजियात पर न ... एनक्लेव–सी के नाम से स्वामित्व है क्योंकि विवादित आराजियात पर ... तथा हथरोई कॉलोनी काटी हुई है, जिसमें उसके सदस्यगण ... गढ़ी सहकारी समिति ने दोनों ही उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ जाने के कारण अन्य व्यक्तियों को काफी ऊँचे दामों पर विक्रय करना चाहते है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये विवादित आराजियात को विवादित बताकर उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाहियाँ समिति के सदस्यों को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत कर की जा रही है और माननीय

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय से भी वास्तविक तथ्यों को छिपाया जा रहा है। इस कारण हस्तगत प्रकरण में वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद व वाद–पत्र दोनों ही निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी/वादी को वर्तमान प्रकरण के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई लोकस स्टण्डाई प्राप्त नहीं है। वादी का वाद व वाद–पत्र कानूनी प्रावधानों से बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी/वादी का वाद धारा 10 एवं आदेश–2 नियम–2 के प्रावधानो से बाधित होने के कारण भी कानूनन चलने योग्य नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थी/वादी का वाद–पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

वादी की ओर से पेश वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता वादी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत यू0टी0 दिनांक 11.01.2017 के क्रम में वकालतनामा भी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। गत तारीख़ पेशी से निरन्तर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई। बहस उपस्थित अधिवक्ता, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया की स्पेसिफिक परफोरमेन्स का दावा ऐडीजे कोर्ट 10 में विचाराधीन है। उक्त वाद/प्रकरण निर्णित होने तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी की खातेदारी भूमि में किसी तरह से दखल नही देने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:58:37 IST
Reason: SelfAttested